

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन, 2-गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015 पार्ट-II/779

दिनांक 03/04/2019

-: आदेश :-

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (सीधी भर्ती) परीक्षा वर्ष 2012 में सफल अभ्यर्थियों में से जिन अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015/710 दिनांक 16.02.2016 के द्वारा आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया है, में से निम्नांकित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु निरीक्षको द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने एवं परिवीक्षा अवधि में दौरान इनकी सेवाएं सन्तोषप्रद रहने के कारण इन्हें दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाने के कारण आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद की नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन भुगतान किया जाना अपेक्षित था, लेकिन तत्समय इन कार्मिको के नाम के आगे अंकितानुसार राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रकरण लम्बित होने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015 पार्ट-II/34 दिनांक 13.04.2018 के द्वारा एक वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि बढ़ायी गयी :-

क्र. सं.	नाम परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी	विभागीय जांच लम्बित होने का विवरण		प्रकरण की वर्तमान स्थिति
		नोटिस क्रमांक/दिनांक	संक्षिप्त टिप्पणी	
1	श्री राकेश खत्री पुत्र श्री रघुमल खत्री,	प019(जन)(23)विजाच/आब/2017/पार्ट-II/122 दिनांक 09.10.2017	निर्धारित मानदण्ड अनुसार अभियोग दर्ज नहीं करने के कारण	आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प019(जन)(23)विजाच/आब/2017/पार्ट-II/1707 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया
		प019(जन)(25)(16)विजाच/आब/2017/1442 दिनांक 28.11.2017	निर्धारित मानदण्ड अनुसार अभियोग दर्ज नहीं करने के कारण	आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प019(जन)(25)(16)विजाच/आब/2017/1447 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया
2	श्री प्रेमराज विश्णोई पुत्र श्री सोहन लाल	प019(जन)(22)विजाच/आब/2018/1312 दिनांक 06.10.2017	मदिरा उठाव में कमी रहने तथा निर्धारित मानदण्ड अनुसार अभियोग दर्ज नहीं करने के कारण	आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प019(जन)(22)विजाच/आब/2018/1705 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया
3	श्री मांगी लाल पुत्र श्री बालु राम	प019(एम)(2)विजाच/आब/2017/1340 दिनांक 16.10.2017	मदिरा दुकान के लोकेशन के चैक नियमों में कमी पायी जाने के कारण	आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प019(एम)(2)विजाच/आब/2017/1708 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया
		प019(एम)( )विजाच/आब/2018/1120 दिनांक 23.08.2018	निरोधात्मक कार्यवाही के दौरान लापवाही बरती जाने के कारण	आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प019(एम)( )विजाच/आब/2018/1709 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया
4	श्रीमती सीमा कांवल पुत्री श्री रतन लाल	प019(जन)(22)विजाच/आब/2017/1315 दिनांक 06.10.2017	मदिरा उठाव में कमी रहने तथा निर्धारित मानदण्ड अनुसार अभियोग दर्ज नहीं करने के कारण	आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेश क्रमांक प019(जन)(22)विजाच/आब/2018/17.10.2017 दिनांक 15.02.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया

उपरोक्तानुसार इनके विरुद्ध प्रस्तावित जांच प्रकरण समाप्त हो जाने के कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015 पार्ट-II/34 दिनांक 13.04.2018, जिससे आबकारी निरीक्षक द्वितीय श्रेणी के पद पर कार्यरत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु निरीक्षको का परिवीक्षाकाल एक वर्ष के लिये बढ़ाया गया है, उक्त आदेश के कम संख्या 02 श्री राकेश खत्री, कम संख्या 04 श्री प्रेमराज विश्णोई, कम संख्या 06 श्री मांगी लाल एवं कम संख्या 16 श्रीमती सीमा कांवल की परिवीक्षा अवधि के आदेश को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।


६०  
(सोमनाथ मिश्रा)  
आबकारी आयुक्त  
राजस्थान उदयपुर

क्रमांक प01(ए)(10)संस्था/आब/2015 पार्ट-II/779

दिनांक 03/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त/अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल राजस्थान, उदयपुर।
3. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन,
4. जिला आबकारी अधिकारी,
5. सिस्टम एनालिस्ट, आबकारी विभाग, राजस्थान उदयपुर।
6. निजी सचिव, आबकारी आयुक्त राजस्थान, उदयपुर।
7. सम्बन्धित सुश्री/श्रीमती/श्री.....आबकारी निरीक्षक द्वारा जिला आबकारी अधिकारी.....।
8. प्रभारी, सामान्य प्रशासन अनुभाग प्रधान कार्यालय, उदयपुर।
9. व्यक्तिगत पत्रावली श्री.....।
10. गार्ड पत्रावली।

  
(प्रज्ञा केवलरमानी)  
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त  
(प्रशासन) राजस्थान उदयपुर